प्रारंभिक परीक्षा

अस्त्र बीवीआर मिसाइल

संदर्भ

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय वायु सेना (IAF) के सहयोग से अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

अस्त्र मिसाइल के बारे में -

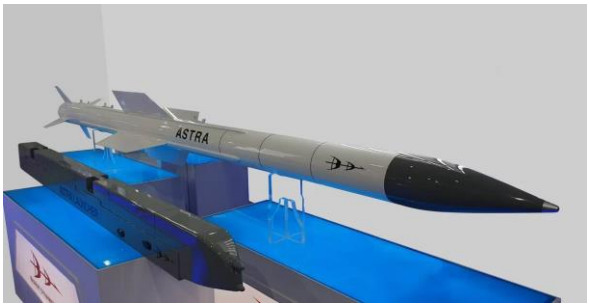

- **यह स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल (BVRAAM) है।**
- इसे अत्यधिक गतिशील हवाई लक्ष्यों पर हमला करने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
    - स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर से सुसज्जित, जिसे सुखोई-30 एमके-आई लड़ाकू विमान पर एकीकृत किया गया है।
    - 100 किलोमीटर से अधिक की संचालन सीमा है।
    - उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणाली से युक्त है।
    - विकास कार्य DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) सहित 50 से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से किया गया है।

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस

'मराठा सैन्य परिदृश्य'(Maratha Military Landscapes)

संदर्भ

'भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य' को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिससे यह प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला **भारत का 44वां स्थल बन गया।**

भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में -

- **मराठा सैन्य परिदृश्य, 17वीं से 19वीं शताब्दी तक फैले हुए, मराठा साम्राज्य की सैन्य रणनीति और स्थापत्य कला की प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं।**
- इस नेटवर्क में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित 12 किले शामिल हैं।
- **भूभाग के आधार पर किलों के प्रकार:**
    - **पहाड़ी किले:** साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, जिंजी (यह तमिलनाडु में है)।
    - **पहाड़ी-वन किला:** प्रतापगढ़ (घने जंगलों से घिरा हुआ)
    - **पहाड़ी-पठार किला:** पन्हाला (पठार पहाड़ी पर स्थित)
    - **तटीय किला:** विजयदुर्ग (तटरेखा के किनारे स्थित)
    - **द्वीप किले:** खंडेरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग (समुद्र से घिरा हुआ)

स्रोत: द हिंदू

संचार मित्र योजना(Sanchar Mitra Scheme)

संदर्भ

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने देशभर में संचार मित्र योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना है, उन्हें डिजिटल एंबेसडर के रूप में नियुक्त करके।

संचार मित्र योजना के बारे में -

- **यह योजना छात्र स्वयंसेवकों पर केंद्रित है, जिन्हें "संचार मित्र" कहा जाता है और जिन्हें जनता के बीच प्रमुख दूरसंचार संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सशक्त बनाया गया है।**
- इसका उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, ईएमएफ विकिरण जागरूकता, जिम्मेदार मोबाइल उपयोग और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य -

- संचार मित्रों द्वारा संचालित संरचित जमीनी स्तर के अभियानों के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी।
- इस योजना का उद्देश्य छात्रों को 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसी उन्नत दूरसंचार तकनीकों से परिचित कराना भी है।
- संचार मित्र प्रशिक्षण, परियोजना भागीदारी और दूरसंचार पहलों में वास्तविक दुनिया की भागीदारी के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे।

कार्यान्वयन और प्रशिक्षण -

- भाग लेने वाले संस्थानों का चयन स्थानीय दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों के समन्वय से किया जाएगा।
- दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा जैसे शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों को नामांकित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय संचार अकादमी-प्रौद्योगिकी (एनसीए-टी) और दूरसंचार विभाग मीडिया विंग के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

नियम और जिम्मेदारियाँ -

- संचार मित्र जागरूकता अभियान चलाएंगे, गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करेंगे और सूचित एवं जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए समुदायों के साथ जुड़ेंगे।
- वे जमीनी स्तर पर डिजिटल राजदूत के रूप में कार्य करेंगे।

प्रोत्साहन और अवसर -

- प्रतिभागियों का मूल्यांकन समय-समय पर नवाचार, निरंतरता और आउटरीच के प्रभाव के आधार पर किया जाएगा।
- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मिल सकता है:
    - इंटर्नशिप के अवसर
    - राष्ट्रीय दूरसंचार परियोजनाओं में भागीदारी
    - इंडिया मोबाइल कांग्रेस जैसे आयोजनों में भागीदारी
    - आईटीयू मानकों और नीति चर्चाओं के साथ जुड़ाव

स्रोत: पीआईबी

तमिलनाडु की पहल ने टीबी से होने वाली मौतों को कम करने में कैसे मदद की

संदर्भ

तमिलनाडु ने **TN-KET (टीबी मृत्यु-मुक्त पहल)** के माध्यम से टीबी से संबंधित मौतों को सफलतापूर्वक कम किया है, जिसमें एक सरल ट्रायेज टूल का उपयोग और एक विभेदित देखभाल दृष्टिकोण लागू किया गया है।

TN-KET क्या है?

- **TN-KET (कासनोई एराप्पिला थिट्टम) क्षय रोग (टीबी) मृत्यु दर को कम करने के लिए 2022 में तमिलनाडु द्वारा शुरू की गई एक राज्य-स्तरीय पहल है।**
- यह गंभीर टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान और विभेदित देखभाल पर केंद्रित है।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
    - **पेपर-आधारित ट्रायेज टूल:** "गंभीर रूप से बीमार" टीबी रोगियों की पहचान करने के लिए 5 त्वरित नैदानिक संकेतकों - बीएमआई, ऑक्सीजन स्तर, श्वसन दर, पैर की सूजन और खड़े होने की क्षमता - का उपयोग करता है।
    - **फास्ट-ट्रैक प्रवेश**: यह सुनिश्चित करता है कि 98% गंभीर मामलों को पहचान के 7 दिनों के भीतर भर्ती कर लिया जाए।
    - **गंभीर टीबी वेब ऐप**: एक डिजिटल उपकरण जो मृत्यु दर के जोखिम का अनुमान लगाता है और तत्काल चिकित्सा निर्णयों का मार्गदर्शन करता है।
    - **सरलीकृत प्रक्रिया**: इसमें किसी प्रयोगशाला परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है तथा पुराने 16-पैरामीटर उपकरणों की तुलना में मूल्यांकन समय 6-7 दिन कम हो जाता है।
    - **विभेदित देखभाल मॉडल**: आयु, बीएमआई, रोग की गंभीरता और मौजूदा सह-रुग्णता जैसे कारकों के आधार पर अनुरूप उपचार योजनाएं प्रदान करता है।
- **महत्व और प्रभाव:**
    - **टीबी से होने वाली प्रारंभिक मृत्यु में 20% की कमी**: कार्यान्वयन के मात्र 6 महीने के भीतर ही प्राप्त कर ली गई।
    - **स्केलेबल मॉडल**: भारत के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के लक्ष्यों के साथ संरेखित, अन्य उच्च टीबी-भार वाले राज्यों के लिए एक अनुकरणीय दृष्टिकोण प्रदान करता है।
    - **डेटा-संचालित दृष्टिकोण**: लक्षित हस्तक्षेप और कुशल संसाधन आवंटन को सक्षम करने के लिए वास्तविक समय के ट्राइएज डेटा का उपयोग करता है।

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस

गैंडा

संदर्भ

असम में **2,573** गैंडे के सींगों के नमूनों का आनुवंशिक विश्लेषण शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य डीएनए प्रोफाइल का अध्ययन करना है। यह कार्य **RhoDIS** इंडिया कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है**,** जो संरक्षण और निगरानी प्रयासों में सहायक है।

प्रजाति के बारे में: भारतीय गैंडा (राइनोसेरस यूनिकॉर्निस) -

- **सामान्य नाम:** ग्रेटर वन-हॉर्न्ड राइनो (एक सींग वाला बड़ा गैंडा)
- **वैज्ञानिक नाम: Rhinoceros unicornis**
- **संरक्षण स्थिति:** असुरक्षित (**IUCN** रेड लिस्ट के अनुसार)
- **जनसंख्या:** वैश्विक स्तर पर लगभग **3,700,** जिनमें से अधिकांश भारत और नेपाल में पाए जाते हैं
- **आवास:** मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र**,** गंगा और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं**,** विशेष रूप से असम के काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में
- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - केराटिन (मानव नाखून के समान) से बना एक काला सींग होता है।
  - मुख्यतः शाकाहारी, घास, फल, पत्ते और जलीय पौधे खाते हैं।
- **खतरे:**
  - अवैध शिकार (पारंपरिक चिकित्सा में और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है)।
  - कृषि, अतिक्रमण और बाढ़ के कारण आवास की क्षति।
  - मानव-वन्यजीव संघर्ष और पृथक आबादी के कारण सीमित आनुवंशिक विविधता।
- **भारत में संरक्षण प्रयास:**
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित।
  - प्रोजेक्ट राइनो और इंडियन राइनो विजन 2020 जैसे संरक्षण कार्यक्रम।
  - अवैध शिकार विरोधी और संरक्षण योजना के लिए डीएनए प्रोफाइल पर नज़र रखने के लिए चल रहे आनुवंशिक अध्ययन (जैसे **RhoDIS** इंडिया)।
  - काजीरंगा, मानस, पोबितोरा, ओरंग और अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में नियमित जनगणना और स्थानांतरण प्रयास।

स्रोत: द हिंदू

समाचार संक्षेप में

ऑपरेशन फायर ट्रेल:
तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, राजस्व खुफिया निदेशालय (**DRI)** ने "ऑपरेशन फायर ट्रेल" के तहत देश के विभिन्न बंदरगाहों पर छापेमारी कर **₹35** करोड़ मूल्य के प्रतिबंधित चीनी पटाखे जब्त किए।

रेड रिवर और यांग्त्ज़ी स्टर्जन मछली की रक्षा के लिए चीन ने 300 बांधों को ध्वस्त किया और जलविद्युत स्टेशनों को बंद कर दिया।

- यह मछली चीन की यांग्त्ज़ी नदी घाटी में पाई जाती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने 2022 में इसे वन्य प्रजातियों में विलुप्त घोषित किया था।**
- यह एक बड़ी मीठे पानी की मछली है, जिसकी लंबाई 2 मीटर से अधिक हो सकती है; इसकी विशेषताएँ लंबी थूथन और हड्डीदार कवच (scutes) होती हैं।

संपादकीय सारांश

भारत का एआई मिशन बिना स्पष्ट नीति के

संदर्भ

भारत वैश्विक एआई नेतृत्व की आकांक्षा रखता है, लेकिन उसके पास एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का अभाव है, जिससे अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ की प्रगति से पिछड़ने का खतरा है।

भारत के एआई मिशन के बारे में -

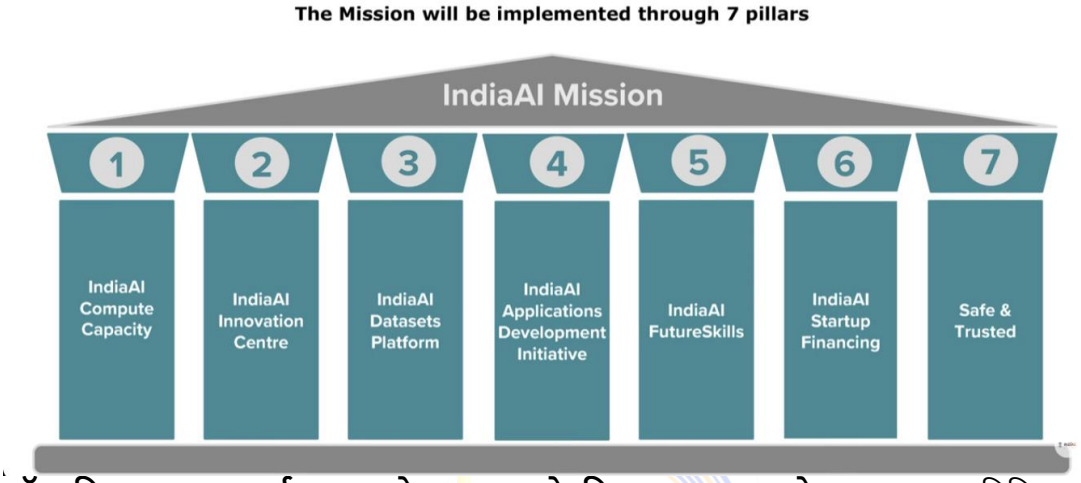

- **लॉन्च किया गया: 7 मार्च 2024 को 2024-29 के लिए ₹10,300 करोड़** (~US $1.2 बिलियन) से अधिक के बजट के साथ।
- **उद्देश्य एवं लक्ष्य:** भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रेरित करना तथा सभी स्तरों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभों का लोकतंत्रीकरण करना।
    - तकनीकी आत्मनिर्भरता, नैतिक और जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देना, और एआई तक पहुंच को व्यापक बनाना।
- **महत्व:**
    - **वैश्विक नेतृत्व**: वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में भारत को एक गंभीर कर्ता के रूप में स्थापित करना, समावेशी, मितव्ययी और बहुभाषी एआई समाधानों का समर्थन करना।
    - **डिजिटल संप्रभुता**: विदेशी एआई अवसंरचना और मॉडलों पर निर्भरता कम करती है, "भारत के लिए, भारत में एआई बनाएं" को बढ़ावा देती है।
    - **समावेशिता एवं समता**: ग्रामीण, शैक्षणिक और वंचित समुदायों सहित समाज के सभी वर्गों की सेवा करने वाले अनुप्रयोगों को प्राथमिकता दी जाती है।
    - **नैतिक और सुरक्षित एआई**: सुरक्षा ढांचे और मानकों में निवेश का उद्देश्य जनता का विश्वास बढ़ाना और एआई को जिम्मेदारी से अपनाना है।
    - **पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण**: सरकार, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **उपलब्धियां:**
    - **ऐरावत एआई सुपरकंप्यूटर**: अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के शीर्ष एआई सुपरकंप्यूटरों में से एक की स्थापना की गई।
    - **वैश्विक एआई कौशल नेतृत्व**: स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के अनुसार, **एआई कौशल प्रवेश में भारत विश्व स्तर पर #1 स्थान पर है (स्कोर: 2.8) और 2016 से प्रतिभा एकाग्रता में 263% की वृद्धि हुई है।**
    - **भाषिणी प्लेटफॉर्म**: डिजिटल समावेशन के लिए 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन करने वाले बहुभाषी एआई उपकरण विकसित किए गए।

- **उत्कृष्टता केंद्र**: स्वास्थ्य सेवा, कृषि और स्मार्ट शहरों में समर्पित एआई अनुसंधान केंद्र शुरू किए गए

वैश्विक साझेदारियां और मंच -

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी (GPAI)
- वैश्विक इंडियाएआई शिखर सम्मेलन
- महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत पहल (आईसीईटी)
- एआई एक्शन समिट (पेरिस, फ़रवरी 2025)
- भारत-फ्रांस एआई शिखर सम्मेलन (ला फ्रेंच टेक इंडिया, 2025)

भारत के एआई मिशन से जुड़े मुद्दे -

- **बिना अधिदेश वाला मिशन:** भारत का एआई मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत एक नौकरशाह के नेतृत्व वाले प्रभाग के रूप में कार्य करता है, जिसमें कैबिनेट द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय रणनीति का अभाव है।
- **शासन अंतराल:** भारत को संरचनात्मक कमियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसके एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर रही हैं, जिन्हें वृद्धिशील दृष्टिकोण से दूर नहीं किया जा सकता है।
- **कमजोर अनुसंधान एवं विकास आधार:** वैश्विक एआई रैंकिंग में विश्वविद्यालयों का कम प्रतिनिधित्व, →वैश्विक केंद्रों में शीर्ष स्तरीय एआई प्रतिभा का नुकसान।
  - एआई-विशेषज्ञ पीएचडी की सीमित पाइपलाइन।
  - शिक्षा जगत और उद्योग जगत के बीच कमजोर सहयोग।
- **निजी क्षेत्र अभिविन्यास:** आईटी उद्योग सेवाओं की ओर उन्मुख रहता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों की तुलना में मामूली अनुसंधान निवेश।
  - एआई के साथ जुड़ाव मुख्यतः तैनाती, अग्रणी नवाचार के क्षेत्र में है।
  - इसमें एआई-प्रथम राष्ट्रीय चैंपियन और गहन तकनीक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव है।
  - उद्यम पूंजी वित्तपोषण उपभोक्ता तकनीक की ओर झुका हुआ है, आधारभूत अनुसंधान की ओर नहीं।
- **लोकतांत्रिक घाटा (संसदीय भागीदारी का अभाव):** राष्ट्रीय एआई शासन को आकार देने में संसद की भूमिका अलग रही है।
  - संसद में 1% से भी कम प्रश्न एआई पर होते हैं।
  - निगरानी के लिए कोई समर्पित संस्थागत तंत्र नहीं है।
  - महत्वपूर्ण बहसों (रणनीतिक स्वायत्तता, सार्वजनिक डेटा उपयोग, ऊर्जा मांग, राष्ट्रीय सुरक्षा) को नजरअंदाज कर दिया गया है।
  - भारत की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है।

आगे की राह -

- **कैबिनेट द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय एआई रणनीति:** संसद में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
  - यह एक स्पष्ट **दृष्टिकोण**, **कार्यान्वयन योग्य रोडमैप**, और **लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के लिए तंत्र** निर्धारित करती है।
- **सशक्त समन्वय प्राधिकरण:** सम्पूर्ण सरकार के अधिदेश के साथ एक सशक्त समन्वय प्राधिकरण की स्थापना करना।
- **रणनीतिक संरेखण:** अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक नीति और सुरक्षा रणनीति को संरेखित करना।
- **सहभागिता और निरीक्षण के लिए रूपरेखा:** सार्वजनिक सहभागिता और संसदीय निरीक्षण के लिए रूपरेखा बनाना।
- **राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकता:** एआई शासन को लोकतांत्रिक सहमति पर आधारित राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में माना जाना चाहिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

महाराष्ट्र का 'शहरी माओवाद' विधेयक

संदर्भ

महाराष्ट्र विधानसभा ने ध्वनिमत से **विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 पारित** कर दिया, जिसका **उद्देश्य वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों से निपटना है।**

शहरी माओवाद क्या है?

- **यह शहरी क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादी (नक्सल/माओवादी) समूहों के प्रभाव और गतिविधियों को संदर्भित करता है, जो वैचारिक प्रसार, भर्ती, लॉजिस्टिक्स और ग्रामीण सशस्त्र कैडरों के लिए समर्थन पर केंद्रित है।**
- **कार्यप्रणाली:** इसमें अग्रणी संगठन बनाना, छात्रों, बुद्धिजीवियों और नागरिक समाज को संगठित करना, दुष्प्रचार करना तथा भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए शहरी सुरक्षित आश्रय स्थल ("शहरी अड्डा") उपलब्ध कराना शामिल है।
- **उद्देश्य:** नक्सली प्रभाव को ग्रामीण क्षेत्रों से परे बढ़ाना, शहरी शिकायतों का फायदा उठाना, तथा विध्वंसकारी गतिविधियों के माध्यम से राज्य संरचनाओं को अस्थिर करना।

विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 में प्रमुख प्रावधान -

- **गैरकानूनी गतिविधि की परिभाषा:**
    - सार्वजनिक व्यवस्था या कानून प्रशासन में हस्तक्षेप करना
    - आपराधिक बल द्वारा लोकसेवकों को भयभीत करना
    - हिंसा, बर्बरता, या सार्वजनिक भय पैदा करने वाले कृत्य
    - संचार (सड़क, रेल, वायु, जल) में बाधा डालना
    - कानून की अवज्ञा को प्रोत्साहित करना या उसका अभ्यास करना
- **संगठनों को गैरकानूनी घोषित करने की शक्तियाँ:** सरकार संगठनों को "गैरकानूनी" घोषित कर सकती है
    - सलाहकार बोर्ड (तीन उच्च न्यायालय न्यायाधीश/योग्य व्यक्ति) द्वारा पुष्टि आवश्यक
- **दंडात्मक प्रावधान:** दंड: सदस्यता, धन जुटाने, गैरकानूनी संगठनों का प्रबंधन या सहायता करने, या "गैरकानूनी गतिविधि" करने के लिए 2-7 साल की कैद और जुर्माना
- **अपराध की प्रकृति:** संज्ञेय और गैर-जमानती (वारंट के बिना गिरफ्तारी संभव)
- **संपत्ति की जब्ती:** जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त गैरकानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की गई संपत्तियों को 15 दिन के नोटिस पर जब्त/बेदखल कर सकते हैं - दोषसिद्धि से पहले भी
    - महिलाओं/बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
- **अपील तंत्र:** प्रभावित पक्ष 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में ज़ब्ती के विरुद्ध अपील कर सकता है

विधेयक से जुड़े मुद्दे -

- **अतिव्यापक एवं अस्पष्ट परिभाषाएँ:** "अवज्ञा करना" और "संचार में बाधा डालना" जैसे शब्द वैध विरोध, हड़ताल या असहमति को आपराधिक बना सकते हैं।
- **दुरुपयोग की संभावना:** पुलिस और प्रशासन को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां, जिससे कार्यकर्ताओं, पत्रकारों या राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाए जाने का खतरा है।
- **कमजोर प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय:** दोषसिद्धि से पहले संपत्ति जब्त की जा सकती है, जो निर्दोषता की धारणा का उल्लंघन है; अभियुक्त पर सबूत का भार उलट दिया जाता है।
- **केंद्रीय कानूनों के साथ तुलना:** यूएपीए और पीएमएलए में "आतंक" या "अपराध की आय" और अर्ध-न्यायिक जांच के लिए उच्च सीमाएं हैं; यह विधेयक कमजोर जांच के साथ व्यापक दायरे को कवर करता है।
- **नागरिक स्वतंत्रता पर प्रभाव:** स्वतंत्र भाषण, सभा और वैध असहमति का गला घोंटने का जोखिम; संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की संभावना (अनुच्छेद 19 और 21)।

- **न्यायिक समीक्षा सीमित:** यद्यपि अपील संभव है, लेकिन न्यायिक जांच से पहले ही प्रारंभिक संपत्ति की हानि या गिरफ्तारी हो सकती है, जिससे कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

नीति आयोग द्वारा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए एक रोडमैप रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही में नीति आयोग द्वारा "राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सुदृढ़ करने हेतु रोडमैप" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई।

राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदें (SSTC) क्या हैं?

- **ये स्वायत्त निकाय हैं जिन्हें भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राज्य स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) नीतियों को प्रोत्साहित, समन्वित और कार्यान्वित करने के लिए स्थापित किया गया है।**
- **उत्पत्ति:** 1971 में भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में शुरू किया गया।
- **समर्थन:** ये मुख्य रूप से भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (SSTP) के अंतर्गत समर्थित होते हैं, तथा संबंधित राज्य सरकारों से परिवर्तनीय सहयोग प्राप्त करते हैं।
- **इसमें शामिल हैं:**
    - **शासी परिषद:** शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था जो राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के लिए नीतियां और रणनीतिक दिशा निर्धारित करती है।
    - **कार्यकारी समिति:** वह परिचालन निकाय जो परिषद की नीतियों को क्रियान्वित करता है और दिन-प्रतिदिन के कामकाज की देखरेख करता है।
- **महत्वपूर्ण कार्य:**
    - कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर नवाचारों को सुविधाजनक बनाना।
    - स्थानीय संसाधन प्रबंधन और पर्यावरणीय मुद्दों के लिए विज्ञान-आधारित समाधान विकसित करना और बढ़ावा देना।
    - समाज के सभी वर्गों में वैज्ञानिक जागरूकता और दृष्टिकोण को बढ़ाना।
    - राज्य के भीतर वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी अपनाने और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।

राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों से जुड़ी चुनौतियाँ -

- **कमजोर शासन संरचना और विलंब:** अनियमित बैठकें और वैज्ञानिक नेतृत्व की अनुपस्थिति के कारण निर्णय में देरी होती है, जिसके कारण नीति कार्यान्वयन धीमा और खंडित हो जाता है तथा अवसर चूक जाते हैं।
- **अपर्याप्त वित्तीय संसाधन:** केंद्रीय अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता, विलंबित वितरण, तथा निधियों का कम उपयोग, परिषदों की क्षमता और विस्तार को सीमित करते हैं।
- **कुशल जनशक्ति की कमी:** रिक्त वैज्ञानिक पद और प्रशिक्षण की कमी अनुसंधान उत्पादन को कम करती है और परिषद की गतिविधियों के पैमाने और गुणवत्ता को सीमित करती है।
- **खराब संस्थागत संबंध:** केंद्रीय और वैश्विक संस्थानों के साथ कमजोर सहयोग ज्ञान के आदान-प्रदान और अनुसंधान के व्यावहारिक अनुप्रयोग को रोकता है।
- **उद्योग सहभागिता का अभाव:** न्यूनतम उद्योग संपर्क और कोई तकनीकी हस्तांतरण केंद्र न होने से व्यावसायीकरण और संसाधन जुटाने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **विनियामक एवं प्रशासनिक अड़चनें:** नौकरशाही नियम, कोई मानक ढांचा नहीं, तथा अस्पष्ट भूमिकाएं व्यय और प्रभावी कार्यप्रणाली को धीमा कर देती हैं।

SSTC को मजबूत करने के लिए नीति आयोग की सिफारिश -

- **शासन में संरचनात्मक सुधार:**

  - **गवर्निंग काउंसिल:** विविध दृष्टिकोणों के लिए राज्य, केंद्रीय, उद्योग और शैक्षणिक विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा; सूचित, रणनीतिक निर्णयों के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी।
  - **कार्यकारी समिति:** पूर्णकालिक वैज्ञानिक निदेशक के नेतृत्व में; इसमें बाह्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे; कार्य-संचालित, जवाबदेह नेतृत्व सुनिश्चित किया जाएगा।
- **वित्तीय सहायता और संसाधन:** पर्याप्त राज्य वित्त पोषण सुनिश्चित करना (लक्ष्य: जीएसडीपी का 0.5%); डीएसटी समर्थन को परियोजना-आधारित अनुदानों में स्थानांतरित करना; वित्त पोषण स्रोतों का विस्तार करना; उद्योग और विश्वविद्यालय संबंधों को बढ़ावा देना; प्रदर्शन-आधारित अनुदान शुरू करना।
- **मानव संसाधन:** 70:30 अनुपात में वैज्ञानिक से लेकर गैर-वैज्ञानिक कर्मचारियों को बनाए रखना; सभी प्रमुख पदों को भरना; कैरियर में प्रगति प्रदान करना; परियोजनाओं के लिए नियुक्ति करना; विशेषज्ञता और सहयोग के लिए द्वितीय संकाय और सेवानिवृत्त विशेषज्ञों को नियुक्त करना।
- **राज्य-केंद्रित भूमिका एवं उप-संरचनाएं:** राज्य-विशिष्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं की पहचान करना; पेटेंट, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इनक्यूबेशन आदि के लिए प्रकोष्ठों की स्थापना करना; डेटाबेस तैयार करना; एसएसआर/सीएसआर प्रयासों का नेतृत्व करना; राज्यव्यापी समान संरचनाओं से जुड़ना।
- **कार्यक्रमों और गतिविधियों को पुनः परिभाषित करना:** राज्य-प्रासंगिक अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता देना; वार्षिक पुरस्कार, फेलोशिप और यात्रा अनुदान की स्थापना करना; राज्य एसटीआई सम्मेलनों का आयोजन करना; विज्ञान लोकप्रियकरण का विस्तार करना; विज्ञान केंद्रों का मानकीकरण करना; संसाधनों का मानचित्रण करना; सहयोग को बढ़ावा देना।
- **सहयोग और संपर्क:** संसाधनों को एकत्रित करने, ज्ञान को बढ़ाने और राज्य में समन्वित एसटीआई विकास में तेजी लाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों, उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ संबंध बनाना।

लघुरूप
- **SSR:** वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व
- **CSR:** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
- **STI:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

स्रोत: [A-Roadmap-for-Strengthening-State-ST-Council.pdf]